| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/7199/2006/उदयपुर**<br>**गणेशलाल व अन्य बनाम भगवतीबाई व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|

**एकल पीठ**

**डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा, सदस्य**

**उपस्थितः–**

**श्री के0के0 पुरोहित, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।**

**विपक्षी बावजूद सूचना अनुपस्थित।**

**आदेश**

**दिनांकः–03.12.2025**

1– यह निगरानी न्यायालय उप जिला कलक्टर मावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2006 के विरूद्ध मण्डल के समक्ष धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– विद्वान अधिवक्ता निगराकार की एकपक्षीय बहस निगरानी पर सुनी गयी।

3– अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने उन अधिकारों का प्रयोग नहीं किया है जिनको प्रयोग करने में लाने के लिए वे कानूनन बाध्य थे तथा उन अधिकारों का प्रयोग किया है जो कानून ने उन्हें प्रदान ही नहीं किये। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर गौर नहीं किया कि अदालत तहत द्वारा वादी को सिर्फ साक्ष्य पेश करने के लिए दो–तीन अवसर दिये गये थे एवं वादी हमेशा अपनी साक्ष्य पेश करने के लिए तत्पर रहा किन्तु उक्त दिनांक को वादी गणेशलाल को चिकनगुनिया बुखार से पीडित हो जाने से वह न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका एवं साक्ष्य पेश करने के लिए अवसर देने की प्रार्थना पत्र दिनांक 06–10–2006 को की गयी थी इस कारण न्यायालय को वादी की साक्ष्य पेश करने का अवसर देना चाहिए था। यदि वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर नहीं दिया गया तो वादी अपना वाद साबित नहीं कर सकेगा। अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर न्यायालय उप जिला कलक्टर मावली का निर्णय दिनांक 06–10–2006 निरस्त किया जाकर वादी को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किये जाने का आदेश फरमाया जावे।

4– हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्रावली पर की गयी बहस पर मनन किया। प्रार्थी/निगराकारगण ने परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष एक वाद बाबत् घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया। तत्पश्चात् परीक्षण न्यायालय ने अपने आदेश दिनांक 06–10–2006 के द्वारा वादीगण/निगराकारगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की साक्ष्य बंद किये जाने के आदेश पारित किये। परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली द्वारा पारित आदेश दिनांक 06–10–2006 से व्यथित होकर निगराकारगण ने मण्डल के समक्ष हस्तगत निगरानी पेश की है। प्रस्तुत प्रकरण में यदि निगराकारगण/वादीगण की साक्ष्य बंद की जाती है तो पक्षकारान के मध्य वाद बाहुल्यता बढेगी। उपरोक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हम निगराकार को हर्जे(कोस्ट) पर साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का अंतिम अवसर प्रदान किया जाना न्यायहित में उचित समझतें है।

5– उपर्युक्त विवेचन/विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। निगराकार को परीक्षण न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**निगरानी/टीए/7199/2006/उदयपुर**<br>**गणेशलाल व अन्य बनाम भगवतीबाई व अन्य** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | करने का अंतिम अवसर हर्जे(कोस्ट) रू0 1000/– पर प्रदान किया जाता है। वादी/निगराकारगण हर्जे (कोस्ट) रू0 1000/– की राशि सम्बंधित न्यायालय के बार काउंसिल में जमा करावें। राशि जमा कराने की रसीद प्रस्तुत करने के पश्चात् परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली निगराकार की साक्ष्य खोलें। पक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मावली के समक्ष दिनांक 15–01–2026 को उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे।<br>आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br>**(डॉ0 महेन्द्र लोढ़ा)**<br>**सदस्य** | |